

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड **Central Board of Secondary Education** संदेशता - Online School Affiliation & Monitoring System R-2.0



As per new Affiliation Bye-Laws

Grant Letter for-: EX-01363-1819

NO : CBSE/AFF/1730428 /EX-01363-1819/2018-19/

Dated: 05/10/2020

The Manager Sai Baba Public School Sai Vihar Colony, Chandmari Road, Aburoad Byepass, RAJASTHAN ,SIROHI , 307026 (M: 02974225500)

Sub: Extension of General Affillation up to Secondary/Senior Secondary Level - regarding Ref: Application No. EX-01363-1819

With reference to your application on the subject cited above; I am directed to convey the approval for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No:

1730428

Affiliated for:

Secondary

Category:

Extension of General Affiliation

Period of Extension of:

01.04.2018 to 31.03.2023

In view of current COVID-19 pandemic which has most severely affected the normal functioning of schools in the country, however, the school is pursuing to provide extension of affiliation so as to avoid any difficulty for the purpose of admission /registration/ obtaining loan/renewal of various safety certificates from appropriate state authorities.

Therefore, the competent authority of the Board after due consideration has accorded approval for extension of Affiliation based on details/data submitted by school in online application for a further period of 5 years subject to fulfilment of following conditions:

- The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time.
- The School is required to apply on online for further extension of affiliation along with the requisize fee and other documents as per
- Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws, 2018.
- The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned as mentioned in certificate as per appendix III issued by District Education Officer (DEO) /equivalent officer 3.
- The school should ensure the strong governance and management of its activities in way of comprehensive and quantifiable planning in way of curriculum planning, infrastructure, resources, physical education, staff development and other co-curricular areas. 4.
- The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and keep a copy there of for reference purpose and also advised to visit CBSE websites i.e. http://cbseacademic.nic.in/ & http://cbse.nic.in/ for updates. The School is 5.
- expected to see all circulars on these CBSE websites regularly. The school will strictly adhere to all rules regarding safety of students including Fire fighting and Transportation, etc. Further, school will provide adequate facilities for potable drinking water and clean healthy and hygienic toilets with washing facilities for boys and
- girls separately in proportion to the number of students. The school will ensure that Fire, Building, health and sanitation and safe 6. drinking water certificates are renewed from time to time, as per norms.
- Admission to the school is to be restricted as per relevant rules of Examination Bye-laws and rule 2.4.5, 2.6.5, 7.1, 7.2, 8.4.2, 8.4.10 & other relevant rules of Affiliation bye laws.
- The school is required to follow rule No.2.4.7 and 2.4.8 of Affiliation Bye Laws regarding Books and Quality of Education.
- The number of sections may be restricted as per the Appendix V of the Affiliation Bye-Laws of the Board. For increase in number of sections, the School shall apply online to the Board as per rule 15.7 of Affiliation Bye laws.
- The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school shall be solely responsible for any legal consequences. the school shall be solely responsible for any legal consequences of sing doc of the doc of sec. Hame, logor society/trust or any other identity related to running of school affiliated to CBSE. The school shall also be liable to bear all legal charges incurred by the
- The school must strive to promote conservation of environment on their campus through rain water harvesting, segregation of waste Board, if any, arising out of these circumstances. at source, recycling of organic waste, proper disposal of waste including electronic waste, use of energy saving and energy efficient
- electrical equipment, greening of campus, use of solar energy, education and awareness amongst children on environment 11.
- The school shall submit their information through Online Affiliated School Information System (OASIS) as per details given in circular no. affiliation-06/2018 dated 24.04.2018. Link for OASIS is available on Board's website:www.cbse.nic.in 12.
- The optimum Section teacher ratio of 1:1.5 as well as student teacher ratio of 30:1 is to be maintained to teach various subjects and trie optimum Section teacher ratio of 1.1.5 as her as stated to be section to be maintained to teach various subjection shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye Laws of the Board.
- Every affiliated school shall sponsor regularly its bonafide and eligible students in Boards Class X and Class XII examinations from 13. Every attiliated school shall sponsor regularly in Solidation regularly without break or inform with reasons thereof in writing well in the year mentioned while granting affiliation/up-gradation regularly without break or inform with reasons thereof in writing well in
- 14. time about the non-sponsoring of the candidates. Running of coaching institutions in the school premises in the pretext of providing coaching to the students for various examinations.
- is not permitted by the Board. Strict action would be taken on defaulters. 15. The Manger and the Principal of the school shall be jointly responsible for the authenticity of the online/offline documents/
- information/data submitted by the School to the Board.
- Apart from rules to be adhered to by the school as mentioned above for drawing specific attention of the school authorities, the school authorities are required to acquaint themselves with all the rules contained in Affiliation & Examination Bye-laws and circulars/guidelines/notification issued by the Board from time to time. Any laxity in following rules/instructions of the Board will lead
- to action against school as per clause 12 of Affiliation Bye-laws-2018. The genuineness of information / documents / data submitted shall be of school and in case, if found otherwise the school shall invite
- 18. The school shall be responsible for submission of any pending compliance, reply of show case /legal notice/ complaint and for
- submission of date/information sought by the Board. The extension of 05 years shall be from the date of cessation of previous 19. validity of extension of affiliation
- The school is required to remit pending fee, if any 20.
- The extension of affiliation is being granted as one time measure. However, the cases where $-\pi$. Show Cause Notice was communicated or grievance / legal cases are pending against the school, the Board will take a propriate decision in this mat

SAI BABA PUBLIC SCHOOL Sai Vihar Colony, Chandmari Road ABU ROAD-307026(Raj.)

This site is Designed and Developed by IT & Project Department CBSE

22. The school shall renew all mandatory safety certificate i.e Safe Drinking Water & Health and Hygiene certificate, Fire Safety Certificate and Building Safety Certificate from concerned Govt authorities time to time

The school shall also maintain record of certificate, compliances, data and other records/information and shall be fully responsible to produce all such records before Board and appropriate Government Authorities when asked for, failing which necessary action shall be taken as per Affiliation-Bye-Laws of the Board. The school shall also be libite for action to the product of the Board. The school shall also be libite for action to the product of the Board. 23. be taken as per Affiliation-Bye-Laws of the Board. The school shall also be liable for action by the appropriate Govt., in case of violation / non-compliance of the concerned Govt. norms


24. The Board reserves the right to conduct inspection of school as per clause 11.2 and 11.4 of Affiliation Bye Laws.

Deputy Secretary/ Joint Secretary(Affiliation)

This is a computer-generated document. No signature is required.

SAI BABA PUBLIC SCHOOL Sai Vihar Colony, Che almari P ABU ROAD-307u26(Rai





PRINCIPAL
SAI BABA PUBLIC SCHOOL
Sai Vihar Colony, Chandmari Road
ABU ROAD-307026(Raj.)

कार्यालय निदेशक .माध्यमिक शिक्षा .राजस्थान. वीकानेर कमांक : शिविरा / मा. / माध्यमिक / अ-4 / केमाशिबो / 09-10 दिनां

दिनांक 29.6.2009

सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र—2 सामुदायिक केन्द्र प्रित विहार, दिल्ली—1100092

विषय:— केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु अनापति प्रमाण पत्र महोदय,

राज्य सरकार के पत्रांक प0 14(8) शिक्षा—1/2009 जयपुर दिनांक 29.6.2009 की पालना में निम्नािकंत विधालयों को उनके नाम के सम्मुख सत्र एवं माध्यम के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु अनापित प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 तथा समय—समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेगी तथा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों मे भागीदारी नहीं निभाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार विधालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जारी अनापित प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है व परिणामस्वरूप उक्त संस्था राज्य में विधालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

क. सं.	विधालय का नाम	सम्बद्धता	सत्र	माध्यग
1.	एस.वी.पी.शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, पलसाना (सीकर)	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
2.	श्रीमती मैनादेवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल,कंसरीसिंहपुर (श्रीगंगानगर)	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
3.	राज पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, मकराना (नागौर)	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
4_	वर्ल्ड सनराइज सनराईज पब्लिक स्कूल, राजखेड़ा रोड़, धोलपुर	CBSE	200910	अंग्रेजी
5	सेंटपाल माध्यमिक विद्यालय, बाड़मेर		2009-10	अंग्रेजी
6.	गुक्त सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल,विजय नगर रोड, सैन्ट्रल जेल के पीछे, ब्यावर (अजमेर)	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
7.	सर्वोदय किंड्स कान्वेट स्कूल, बांसवाड रोड, प्रतापगढ	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
8.	दी एशिया पेसिफिक कॉर्न्वेन्ट स्कूल, नीमच रोड, प्रतापगढ	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
9.	मॉर्डन इंग्लिश उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिवगंज (सिरोही)	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
10.	एम.एस.कवाड इंटरनेशनल स्कूल, नयागॉव, सोजत रोड़ (पाली)	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
11.	देहली पब्लिक स्कूल, श्रीराम वाटिका, जयपुर रोड़, अलवर	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
12.	न्यृ ईरा सेंट्रल स्कूल, तहसील के सामने, अनुपगढ (श्रीगंगानगर)	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
13.	कैम्प्रिज सी.से. स्कूल, सरदारपुरा 7वी "बी" रोड, चिल्ड्रन पार्क, जोधपुर	149	2009-10	
14.	अवरलेडी ऑफ पिलर कॉन्वेन्ट स्कूल, गंगाना रोड़, पॉल विलेज, जोधपुर	CBSE	2009-10	अंग्रेजी

PRINCIPAL PRINCIPAL

PRINCIPAL
SAI BABA PUBLIC SCHOOL
SAI Vihar Colony, Chandmari Road
ABU ROAD-307026(Raj.)

SAIBABA PUBLIC SCHOOL SHIVING COLONY, Chandman ABUTROAD-30702

<u> </u>	-0			
15.	सी.एल.आर. पब्लिक स्कूल, लुहारू रोड़, पिलानी (झुन्झुनू)	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
16.	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	CBSE	2009-10	
17.	नरन्द्र एकडमी, किशोरपूर्ण जीह वालान (::-)		2009-10	
18.	या पर्धनान कान्यन्ट रकल मिनेगां (लीन्यन)		2009-10	
19.	क्षाल इंग्लिश एकंडमी पाथरेदी ता कोटान्सी (जाए)		2009-10	
20.	भारतार्व एकडमा, लक्ष्मण विहार सान्त कार्य के		2009-10	
21.	निया सिटा इटरनर्शनल एकंडमी जगाव जीन निया	CBSE CBSE	2009-10	
	1 (*1 4 2 4)	CDSE	2009-10	MAZII
22.	विश्वदीप गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्वामी महेश्वरानन्द आश्रम, जाडन (पाली)	CBSE	2009-10	हिन्दी
23.	महाराजी संवाई भवानी सिंह स्कूल, श्रीकिशनपुरा, ए-व्लॉक, महल योजना, जगतपुरा, जयपुर	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
24.	सन्ट थामस स्कूल, सैक्टर–2, महात्मागाँधी नगर, डीसीएम, अजमेर रोड़, जयपुर	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
25.	रूकमणी देवी इन्टरनेशल स्कूल, सिंधी कम्प, सरावली त० मण्डावर (दौसा)	CBSE	2009—10	अंग्रेजी
26.	ए.एस.एम. पब्लिक स्कूल, सी.सी. हैड, पदमपुर (श्रीगंगानगर)	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
27.	अरावली पब्लिक स्कूल, बिड्यालखुर्द, बॉदीकुई (दोसा)	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
28.	3 3.7 1. (1.1.1.1)	CBSE	2003-10	अंग्रेज़ी
29.	्रा १५० १० १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १	CBSE	2009-10	अंग्रजी
30.	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	CBSE	200910	ांग्रेजी
34	गेट, कुचामन सिटी (नागौर)			
31.	बीकानेर	CBSE	2009—10	अग्रजी
32.	8	CBSE	2009-10	ांग्रेजी
33.	जयपुर	CBSE	2009-10	अंथेजी
34.	जयपुर		200910	
35				
36	(सीकर)			
37	विडपास, अविरोड (१सर्गहा)	CBSE	2009—10	अंग्रेजी
38	. शिक्षा हाई रकूल, केमल फार्म रोड़, शिववाड़ी, बीकानेर	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
39	. सिन्ट पॉल स्कूल, डीडवाना रोड़, कुचामन सिटी (नागौर)	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
40	े. ज्ञान विहार पब्लिक स्कूल, किन्सरिया (बिदियाद) तह० परयतसर (नागौर)	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
4	। न्यू पिक्लक सीनियर सैकण्डरी स्कूल, विज्ञान नगर, कोटा	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
4:			2009-10	
4:	3. विश्वकर्मा पब्लिक स्कूल, श्रीमहावीरजी (करौली)	CBSE	2009-10	अंग्रेजी

C:\Documents and Settings\NEWUSER\My Documents\CBSE 3.doc

PRINCIPAL
SAI BABA PUBLIC SCHOOL
Sai Vihar Colony, Chandmari Road
ABU ROAD-307026(Raj.)

		The state of the s			
	44.	जी0आर0 पब्लिक समाविं, गणपति नगर, मण्डावा रोड, झुंझुंनू	2000		अंग्रेजी
Ī	45.	विराज्ञाय केनल एकडमा कालीवाडा गुंकम् काली	CBSE	200910	
1	46.	आदर्श विद्यामंदिर, मण्डावा (झुंझुंनू)	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
I	47.	एन०के० पब्लिक स्कूल, राजावास, सीकर रोड़, जयपुर	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
i	48.	एस०आर० ट्या मान	CBSE	2009—10	अंग्रेजी
		एसा0आर0 इन्टरनेशनल एकंडमी, रधु विहार, खंडली रोड, नदबई (भरतपुर)	CBSE	2009—10	अंग्रेजी
	49.	ब्राईटलेण्डस कॉन्वेन्ट स्कूल, 3—डी—5, सुखाड़िया नगर,	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
	50.	न्यू आदर्श एकेडमी, झोटवाड़ा, जयपुर	CBSE-	2009-10	अंग्रेजी
	51.	लीलादेवी पारसमल अंगेती नंगन्य किन्या करन	CBSE		
		ापधावाड़ा—खामल प्रांस रानी (पाली)	CBSE	2008-10	SINGI
	52.	। प्रस उच्च माध्यमिक विद्यालय पालवांस रोज सीकर	CBSE	2009-10	अंग्रेजी
	53,	महावीर पब्लिक स्कूल, ऋषभदेव (उदयपुर)		200910	
	54.	राजस्थान पब्लिक स्कूल, जखराना (अलवर)	CDSL	2009-10	्यंगेजी
	55.	इण्डियन कॉन्चेन्ट स्कूल, मात्रा रीड़, केशवरायपाटन (बूंदी)		2009-10	अंग्रेजी
	56.	इंदिरा गांधी बालिका निकेतन, अरडावता, त० चिडावा			अंग्रेजी
		(झंझन)	CBSE	2009-10	अप्रजा
		*** - *			13.5

(डॉ० स्तीश कुमार) उप निदेशक (मध्यमिक) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार,जरापुर

2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर

4. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विमाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर

6. सम्बन्धित विद्यालय / सचिव

िपिकिपी उप निदेशक (मंखिनेक) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान वीकानेर

C:Documents and Settings\NEWUSER\My Documents\CBSE 3.doc

-

PRINCIPAL
SAI BABA PUBLIC SCHOOL
Sai Vihar Colony, Chandmari Road
ABU ROAD-307026(Raj.)

वगर्यालयं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) पिरोही राज्यस्मन

रें।एयावा ;

fanim: 10.2.0515

प्रगान्धकः

विषय : नि:सुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन को लिए निःशुल्क और अनियाय नाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम ।। के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

महादयः / महादयाः

आपके दिनांक के लावेदन और इस संगंध में विधालय के साथ परयात्यती पत्राचार/तिरीक्षण के मित्री से भी भी देश। भारति धार्मिक स्वाहित है। को संज्ञ के लिया स्वाहित है। को स्वाहित के लिया स्वाहित है। को स्वाहित है। को लिया स्वाहित है। किया स्वाहित है। क 2012-13 के लिय कक्षा धिर्मा से कक्षा द्विपा (.....रिस्टी माध्यम) राक 31 मार्च, 2013 तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संस्वान देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है:--

भे गात्मता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कहा।—8 के प्रथात मान्यता / संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

<u> 2. विद्यालय निः शुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपार्वय 1) और निः शुल्क और </u>

अनिवार्य याल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपावंच 2) के उपगंचों का पालन करेगा।

3 विद्यालय कक्षा 1 में, उस कथा के वालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आरा-पड़ौरां के कमजोर युर्गे और अलाभपद समूह के वालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्रथिमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

ब. पेरा—3 में निर्दिष्ट यालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की घारा—12 (2) के उपवंदों कं अनुसार प्रतिपुरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक वैंक खाता रखेगा।

<u> इ सिर्गायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन सुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके</u> माता-पिता या रांरक्षकं को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

- दिद्यालय किसी बालक की, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रयेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध / निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
- र मुनिद्यालय सुनिरिचत करेगा कि :--
 - प्रवेश दिए गए किसी भी वालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायगा।

3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक वालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए

अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

5. अधिनियम के उपवंधों के अनुसार निःशवतता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।

> PRINCIPAL SAI BABA PUBLIC SCHOOL Sai Vihar Colony, Chandmari Road ABU ROAD-307026(Raj)

अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्धताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंग भर न्यूनतम अहताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहताएं अर्जित करेंगे। अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्ताव्यों का पालन करता है. और अध्यापक रवयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित निर्ध करेंगे।

वद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आचार पर पाठ्यक्रम का पालन

9. विद्यालय अधिनियम की धारा—19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात मे विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।

30 विद्यालय अधिनियम की धारा—19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमीं को बनाए

रखेगा। अंतिग निरीक्षण कं समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-

ता. विद्यालियों के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त

12 विधालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास

व. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनयन 1958 के अधीन पंजीकृत कि भोरापिटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास

14 विद्यालय को किसी व्यप्टि, व्यप्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं

15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके हाल प्रगाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जान चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक जिला 16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक राष्ट्रीहै। कृपया इसे नोट कर लें और इस

कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।

न्तर. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारंभित विधालम् राजस्थानं, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), सिरोही द्वारा अपेकित शिक्षा, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता कर्वे आर राष्ट्रम भारता अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कायकरण की कमियां को है। करने के लिए जारी किए जाएं। करा पा पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

19. संलग्न उपायंय-111 के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्राचित्र)

PRINCIPAL Sai Vihar Colony, Chandmari Road ABU ROAD-307026(Raj.)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER P.W.D. DIV.ABUROAD

Email eearoad.pwd@rajasthan.gov.in Phone No. 02974-222165

No.EE/Aburoad/2022-23 / 39

Date 06/04/2022

The Principal,

SAI BABA PUBLIC SCHOOL,

Aburoad.

Subject:- Regarding Safety Certificate of Sai Baba Public

School, Aburoad.

Ref:- Your letter No.SBPS/2021-2022/184 dated

23.03.2022

Sir,

It is to inform that above building has been inspected by Assistant Engineer PWD Sub Div Aburoad on dated 06.04.2022 on the basis of formal recommended by you & affidavit furnished by owner, it is to certify that this Building is safe for School Activities.

This Certificate is valid for a period 1 (one) Year i.e. only upto 31.03.2023 (date) subject to regular upkeep and satisfactory Annual maintenance by School owner.

Note:- This Certificate will stand void automatically. if the building is used for any other purpose other than the School activities at any time during the year.

Your's Faithfully

(Sanjeev Kumar Sacheti)

Executive Engineer PWD Div Aburoad e सा.नि.वि.खण्ड, आबूरोड

No.EE/Aburoad/2022-23

Copy to the Assistant Engineer, PWD Sub Division Aburoad.

Executive Engineer PWD Div Aburoad

PRINCIPAL
SAI BABA PUBLIC SCHOOL
Sai Vihar Colony, Chandmari Road
ABU ROAD-307026(Raj.)

amour

कार्यालय नगर परिषद् पाली (राज0)

(लालबहादुर शास्त्री टाऊन हॉल, सुरजपोल के पास, पाली—मारवाड़, राजo, पिनकोड—306401) (टेली—फेक्स:—02932—221301,ई—मेल:—cmcpali@yahoo.co.in,वेब—साईट www.mcpali.com)

क्रमांक प.18 () अग्नि/2022/2121

दिनांक 27.4.202

- अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

प्रेषित :- साई बाबा पब्लिक स्कुल साई विहार कॉलोनी चांदमारी रोड आबुरोड जिला सिरोही

विषय :- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् ।

प्रसंग :- आपके पत्र के क्रम मे ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि साई बाबा पब्लिक स्कुल साई विहार कॉलोनी चांदमारी रोड आबुरोड जिला सिरोही (राज.) के स्थान का मौका निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा हेतु स्कुल मे लगे अग्निशमन यंत्र व्यवस्थित सही एव चालु हालत मे पाये गये आवश्यकता पड़ने पर इन अग्निशमन यंत्रों को उपयोग मे लिया जा सकता है। उक्त बिल्डींग को अग्नि सुरक्षा व्यावस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबन्द करते हुए यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

- 1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अविध के लिए मान्य होगा ।
- 2. एक वर्ष के पश्चात आनापत्ति प्रमाण पत्र का नविनिकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा आनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा ।
- 3. स्कुल के समस्त स्टॉफ व सिक्योरिटी गार्ड को वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाना आवश्यक होगा ।
- 4. स्कुल में लगे अग्निशमन यंत्रों को हमेषा चालु हालत में रखना होगा ।
- 5. अग्निशमन यंत्रो को समयावधि मे रिफिलिंग करवाने होगे ।
- 6. स्कूल मे फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24X7 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखना होगा।
- 7. स्कुल में का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्य स्थिति (चालु हालत) नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिषंश पत्र निरस्त माना जायेगा ।
- 8. यदि राज्य सरकार/परिषद द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- 9. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि में मान्य होगा।
- 10. स्कुल में पानी का टैंक ऊपर व नीचे बनाना होगा जिसका कनेक्शन उच्च हॉस पॉवर मोटर के साथ पर्याप्त पाईप लगाना होगा।
- 11. स्कुल में सांईन (सिगंल) बोर्ड लगाने होगे ।
- 12. स्कुल में आने व जाने के लिये रास्ता खुला रखना होगा ।
- 13. स्कुल मे वाहनों को रखने के लिये पार्किंग व्यवस्था रखनी होगी।
- 14. स्कुल के व्यवस्थापक को आपातकालीन स्थिति में बिजली (जनेटर) की व्यवस्था रखनी होगी।
- 15. स्कुल मे आपात सेवाओं के दुरभाष नम्बर व घुम्रपान निषेध का सांईन बार्ड लगना होगा ।
- 16. स्कुल के व्यवस्थापक को बिल्डींग के मानचित्र अनुसार के अलवा और निर्माण कार्य करने से पुर्व राज्य सरकारी / परिषद द्वारा / अग्निशमन अधिकारी से अनुमती लेनी होगी ।

17. प्रस्तावित साई बाबा पब्लिक स्कुल साई विहार कॉलोनी चांदमारी रोड आबुरोड जिला सिरोही (राज.) को बिन्दु सं. 1 से 17 तक की पालना करनी होगी ।

सहायक अग्निशामन अधिकारी

PRINCIPAL
SAI BABA PUBLIC SCHOOL
Sai Vihar Colony, Chandmari Road
ABU ROAD-307026(Rai.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL BOARD, ABUROAD (RAJ)
SR. NO. ABR/MUN/ 2979
DATED: 29 03 2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to Certify that SAI BABA PUBLIC SCHOOL, SAI VIHAR COLONY, CHANDMARI ROAD, ABUROAD BYE PASS ABUROAD DIST - SIROHI RAJASTHAN has good health and Sanitary Conditions, proper Drinking water facility.

Date: 25 03 2082

Place :

Targets (1)

अधिक्षपीं अंगिर्टिन न Municipal Board, Abu Road

PRINCIPAL
SAI BABA PUBLIC COMPANDE COMPAND COMPANDE COMPAND COMPAND